

विषय सूची

विवरण	पैरा संख्या	पृष्ठ
प्रतिवेदन में प्रयुक्त संकेताक्षर		
प्राक्कथन		
कार्यकारी सार		i से iii
अध्याय-1: प्रस्तावना		
संगठनात्मक ढांचा	1.1	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	3
लेखापरीक्षा मापदंड	1.3	3
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	3
नमूना चयन	1.5	4
मंत्रालय की प्रतिक्रिया	1.6	5
अभिस्वीकृति	1.7	5
अध्याय-2: रेलवे स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो पर अपशिष्ट प्रबंधन		
ईएनएचएम विंग की स्थापना	2.1	7
बजट आवंटन और व्यय	2.1.1	9
जवाबदेह सत्वों का गठन	2.2	10
उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और इसका उचित प्रबंधन	2.3	11
स्टेशनों पर नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन	2.4	12
एनजीटी के आदेश के अनुसार 37 चिन्हित प्रमुख स्टेशन पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना	2.5	14
37 स्टेशनों (720 स्टेशनों का शेष) के अलावा अन्य पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना	2.6	16
स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई योग्य बिंदु पर प्रगति	2.7	17
सीएसआर पहल के माध्यम से रेलवे कार्यों के निष्पादन के लिए किए गए प्रयास	2.8	20

स्टेशनों पर खानपान इकाइयों द्वारा और ओबीएचएस के तहत आने वाली ट्रेनों से उत्पन्न अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण	2.9	21
स्टेशनों पर प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्धारण और संग्रह/पृथक्करण	2.10	22
नगर निगम ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और अलग संचय	2.11	24
ठोस अपशिष्ट का परिवहन और निपटान	2.11.1	26
ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सुविधाएं	2.11.2	27
निष्कर्ष	2.12	28
सिफारिशें	2.13	29
अध्याय-3: रेलवे कार्यशालाओं, रखरखाव शेड कोचिंग डिपो और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन		
जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित करने के लिए सहमति (सीटीई) या परिचालन हेतु सहमति (सीएफओ)	3.1	31
खतरनाक और अन्य अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिए एसपीसीबी से प्राधिकार	3.2	32
एफ्लुएंट और खतरनाक अपशिष्ट के संचालन के लिए एसपीसीबीसे प्राधिकार में विलम्ब-	3.3	32
पर्यावरण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना	3.4	33
खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए अभिलेखों का रखरखाव	3.5	34
अनुमेय अवधि के बाद खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण	3.6	35
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)/ग्रीन रेटिंग प्रमाणन	3.7	36
निष्कर्ष	3.8	37
सिफारिशें	3.9	38

अध्याय-4: रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट जल का प्रबंधन		
एफ्लुएंट/सीवेज उपचार संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी) का प्रावधान/योजना बनाना, चालू करना और कार्यचालन	4.1	39
स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी से निस्तारण किए गए एफ्लुएंट/कीचड़ का विश्लेषण	4.2	41
जल पुनःचक्रण संयंत्रों (डब्ल्यूआरपी) का प्रावधान	4.3	42
कोचिंग डिपो और कार शेड में स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र (एसीडब्ल्यूपी) का प्रावधान	4.4	42
पर्यावरण संबंधी कार्यों (इआरडब्ल्यू) के लिए सृजित निधियों से संस्वीकृत अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति	4.5	43
निष्कर्ष	4.6	45
सिफारिशें	4.7	46
अध्याय-5: रेलवे अस्पतालों में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन		
जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए प्राधिकरण	5.1	47
जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए प्राधिकरण के नवीकरण में विलम्ब होना/ जारी न करना	5.2	48
जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए अस्पतालों में अवसरचना का निर्माण	5.3	49
भंडारण से पहले जैविक अपशिष्ट का पूर्व-उपचार	5.4	50
द्रव रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण और पूर्व-उपचार	5.5	51
जैविक अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) के लिए उचित भंडारण सुविधा	5.6	51
जैविक अपशिष्ट के निपटान के लिए बीएमडब्ल्यू नियमावली के तहत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन	5.7	53
अस्पताल स्तर पर जैविक अपशिष्ट का निपटान	5.8	54

बीएमडब्ल्यू नियमावली के तहत आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट की गैर-प्रस्तुति	5.9	55
जैविक अपशिष्ट का संचालन करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्रशिक्षण	5.10	56
जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था की मौजूदगी	5.11	57
निष्कर्ष	5.12	58
सिफारिशें	5.13	59
अध्याय-6: ई-अपशिष्ट का प्रबंधन		
ई-अपशिष्ट के संचालन के लिए समेकित निर्देशों और प्रशिक्षण की अनुपस्थिति	6.1	61
एसपीसीबी को निर्धारित प्रपत्र 3 प्रस्तुत करना	6.2	62
स्वीकार्य सीमा से अधिक ई-अपशिष्ट का भंडारण	6.3	63
निष्कर्ष	6.4	63
सिफारिश	6.5	64
अनुलग्नक		65-145